

प्रेस विज्ञप्ति

यूपीडा द्वारा शीतकालीन मौसम में कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु एक्सप्रेसवे पर व्यापक सुरक्षा उपायों की घोषणा

लखनऊ, 23 अक्टूबर, 2026

शीतकालीन मौसम में कोहरे एवं कम दृश्यता की आशंका को देखते हुए, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने उत्तर प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सभी एजेंसियों को व्यापक सड़क सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं।

ये उपाय आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे तथा गंगा एक्सप्रेसवे पर लागू किए जाएंगे। विशेष रूप से उन हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जहां घने कोहरे एवं कम दृश्यता की संभावना अधिक रहती है।

यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), श्री दीपक कुमार ने कहा, “यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शीतकालीन मौसम में कोहरा एवं कम दृश्यता सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। हमने सभी संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों को निवारक उपायों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, गति सीमा का सख्ती से पालन कराने, प्रभावी आपातकालीन सहायता व्यवस्था बनाए रखने तथा एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा संबंधी आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। हमारा उद्देश्य दुर्घटनाओं को न्यूनतम करना और उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर प्रत्येक यात्रा को सुरक्षित बनाना है।”

प्रमुख सुरक्षा उपाय

1. कोहरे के दौरान संशोधित गति सीमा

संशोधित अधिकतम गति सीमाएं, 01 नवंबर, 2026 से 15 फरवरी, 2027 तक चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएंगी अथवा कोहरे की स्थिति में सुधार होने तक प्रभावी रहेंगी, जल्दा कि लागू हो। इन संशोधित गति सीमाओं का व्यापक प्रचार समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड तथा अन्य संचार माध्यमों के जरिए किया जाएगा।

हल्के मोटर वाहन (LMV) एवं M-1 श्रेणी के वाहन: 01 नवंबर से 15 नवंबर तक प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक अधिकतम गति सीमा 100 किमी प्रति घंटा तथा रात्रि 8:00 बजे से अगले दिन प्रातः 8:00 बजे तक 80 किमी प्रति घंटा होगी। 15 नवंबर से गति सीमा घटाकर दिन में 80 किमी प्रति घंटा तथा रात में 60 किमी प्रति घंटा कर दी जाएगी।

M-2 एवं M-3 श्रेणी के वाहन: 01 नवंबर से 15 नवंबर तक दिन में अधिकतम गति सीमा 80 किमी प्रति घंटा तथा रात में 60 किमी प्रति घंटा होगी। इसके बाद गति सीमा घटाकर दिन में 60 किमी प्रति घंटा तथा रात में 50 किमी प्रति घंटा कर दी जाएगी।

मालवाहक वाहन: प्रारंभिक अवधि में दिन के समय अधिकतम गति सीमा 60 किमी प्रति घंटा तथा रात के समय 50 किमी प्रति घंटा होगी। 15 नवंबर से इसे घटाकर दिन में 50 किमी प्रति घंटा तथा रात में 40 किमी प्रति घंटा कर दिया जाएगा।

2. सख्त प्रवर्तन एवं यातायात प्रबंधन

स्वचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली (ATMS) के अंतर्गत स्थापित गति निगरानी प्रणाली को संशोधित गति सीमाओं के अनुरूप समायोजित किया जाएगा, ताकि नियमों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित हो सके और गति सीमा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।

3. कोहरा गश्ती दल एवं आपातकालीन सहायता

सुरक्षा टीम पुलिस के समन्वय से उन वाहनों की पहचान करेगी, जो 50 मीटर से कम दृश्यता की स्थिति में चल रहे होंगे। ऐसे वाहनों को निकटवर्ती टोल प्लाजा, वे-साइड सुविधाओं, पेट्रोल पंपों अथवा रेस्तरां तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर इन स्थानों पर वाहनों को एकत्रित कर काफिले के रूप में आगे रवाना किया जाएगा। इस व्यवस्था के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर लागू की जाएगी।

सुरक्षा एवं गश्ती दल 24 घंटे, सातों दिन सतर्क रहेंगे। एंबुलेंस, गश्ती वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं की त्वरित तस्माती के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त संसाधनों का आकलन कर उनकी तस्माती भी की जाएगी।

4. जन-जागरूकता अभियान

टोल प्लाजा पर जन उद्घोषणा (PA) प्रणाली के माध्यम से सुरक्षित वाहन संचालन, संशोधित गति सीमा तथा कोहरे के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में नियमित घोषणाएं की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, रेडियो एवं एफएम चैनलों पर सुरक्षा संबंधी प्रसारण प्रसारित किए जाएंगे। एक्सप्रेसवे के प्रवेश एवं निकास बिंदुओं, टोल प्लाजा तथा वे-साइड सुविधाओं पर प्रमुख स्थानों में स्थित साइनबोर्ड के माध्यम से भी यात्रियों को जागरूक किया जाएगा।

5. सड़क सुरक्षा संबंधी आधारभूत सुविधाओं में सुधार

सभी एक्सप्रेसवे पर रिफ्लेक्टिव टेप एवं साइनबोर्ड का निरीक्षण कर उनका समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा। प्रवेश एवं निकास बिंदुओं पर फॉग लाइट लगाई जाएंगी। इसके साथ ही, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त रावर्तक चिह्न एवं ब्लिंकर लगाए जाएंगे। विशेष रूप से मोड़ों तथा नदियों, नालों एवं अन्य ऐसे क्षेत्रों के समीप स्थित हिस्सों पर ध्यान दिया जाएगा, जहां घना कोहरा छाने की आशंका अधिक रहती है।

निर्माण, मरम्मत अथवा रखरखाव कार्य वाले स्थानों पर भी पर्याप्त सड़क सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे।

6. नियमित निरीक्षण एवं निगरानी

संबंधित मुख्य अभियंता, मुख्य महाप्रबंधक एवं सुरक्षा टीम नियमित निरीक्षण कर सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) तथा भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) द्वारा जारी लागू सड़क सुरक्षा दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

यूपीडा ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों को आवश्यक तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा उपायों के अनुपालन तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए *31 अक्टूबर, 2026* की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

इन समन्वित प्रयासों के माध्यम से यूपीडा का उद्देश्य शीतकालीन मौसम में उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करना, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी बेहतर बनाना तथा कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना है।